

का विरासत में नाम दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अति-
 न 5 से 8 गुणा की वास्तविक होने के कारण उक्त
 वर्तित श्रेणी के सीनेट स्वादेदार है। बादा 53 के
 आवसाग अनुसार वादी एवं अतिवादीगत शासन व
 रिवाइ में दर्ज हिस्सा के अनुसार विधिवत विभाजन
 करवाने के आधिकारी है।

आदेश

वादायक सेवाकार किमा का लोही तथा प्राथमिक
 डिप्टी इस आशय की ही जारी है कि श्रावण नवरी
 की अरह में स्थित भूमि ख. नं. 762, 769, 770, 771
 772, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 787
 790, 793, 827, 829, 830, 832, 852, 853,
 854, 855, 1197/779, 1200/828 जिला 25 कुम
 शक 8.82 है। का वादी एवं अतिवादीगत के मध्य
 शासन रिवाइ में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार
 रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन
 किमे जाने का आदेश दिया जा रहा है। तदनुसार
 तहसीलदार उदयपुरवादी उगाय पक्षों की उपस्थिति
 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मग नकशा
 के दो अतिमें में अशायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकाशनी प्रसल सुभार होकर न मर के कागद
 तथा वाद तकमील दारिखल रहकर हो।
 निर्णय आल दिनांक 31.5.18 का को मर को
 नवरी में सुकाया गया।

[Signature]